रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-22072022-237445
SG-DL-E-22072022-237445

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 372]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 21, 2022/आषाढ़ 30, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 199
No. 372]	DELHI, THURSDAY, JULY 21, 2022/ASHADHA 30, 1944	[N. C. T. D. No. 199

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शिक्षा विभाग

[सचिवालय (भर्ती एवं पदोन्नति इकाई)]

प्रारूप अधिसूचना

दिल्ली, 19 जुलाई, 2022

फा. सं. 8(8)/94/सचिवालय शाखा/शिक्षा पार्ट फा.–I/831-837.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना फा. सं. 27/59–हिम (प); दिनांक 24–09–1968 की अधिसूचना सं0 24/78/68–डीएच (एस) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सरकार की दिनांक 5 जून 1997 की अधिसूचना फा. सं. 27(3)/96–शिक्षा/938–945 के अधिक्रमण में एवं ऐसे अधिक्रमण से पूर्व कुछ भी की गई या की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में उप–निदेषक शिक्षा (खेल) के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात् :–

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :–

(i) इन नियमों को शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, उप–निदेशक शिक्षा (खेल) भर्ती नियमावली, 2022 कहा जाये ।

(ii) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. **पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में वेतन–स्तर** :– उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (02) से (04) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु–सोमा, योग्यता इत्यादि** :–उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु–सीमा, योग्यता एवं इससे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :– वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह

उक्त पद की किसी भी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकता है।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :–जहां यदि सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श से कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी वर्ग या श्रेणी को इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकता है।

6. **बचावः**– इन नियमों के संबंध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिक, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये प्रदान किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

क्र.सं.	शीर्षक		विवरण
1.	पदनाम	:	उप–निदे"ाक, f"ाक्षा (खेल)
2.	पदों की संख्या	:	* 01(2022) * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अलिपिकीय
4.	पे–मैट्रिक्स में स्तर	:	पे–मैट्रिक्स में स्तर 12 (78800–209200)
5.	क्या चयन पद है या गैर चयन पद	:	**चयन पद**
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	:	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	लागू नहीं
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ समावे"ान द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	:	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति / समावे"ान द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / समावे"ान किया जाना है	:	**पदोन्नति :** वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 (67700–208700 रूपये) में सहायक निदे"ाक f"ाक्षा (खेल) के पद पर ग्रेड में 5 वर्षो की नियमित सेवा सहित तथा विभाग द्वारा यथानिर्धारित 2 से 4 सप्ताह का प्रf"ाक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करता हो। **टीपः**– जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है; वे पदोन्नति के लिए विचारणीय हैं, उनके वरिष्ठ भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे; बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से अधिक या दो वर्ष, इसमें जो भी कम हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने ऐसे कनिष्ठ अधिकारियों के साथ

			सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जो ऐसी अर्हक / पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर चुके हैं। **प्रतिनियुक्ति** : केन्द्र / राज्य सरकारों / केन्द्र शासित प्रदे"ाों के अधिकारी: (क)(i) मूल संवर्ग / विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारी; अथवा (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 (67700–208700 रूपये) में नियमित आधार पर नियुक्ति के प"चात प्राप्त ग्रेड में पांच वर्षों की सेवा सहित अथवा मूल संवर्ग / विभाग में समकक्ष ; तथा (ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव रखता हो; (i) किसी मान्यता प्राप्त वि"वविद्यालय / संस्थान से स्नातक की उपाधि। (ii) राष्ट्रीय खेल संस्थान से कम से कम एक वर्ष का डिप्लोमा / प्रमाणपत्र (iii) खेल समारोह / खेल प्रतियोगिता अथवा खेल प्र"ाक्षण के आयोजन के क्षेत्र में पांच वर्षों का अनुभव। (iv) राष्ट्रीय खेल / राष्ट्रमंडल खेल / ए"ायन खेल / वि"व खेल प्रतियोगिता / ओलिंपिक खेलों में पदक विजेता। **टीप 1**: भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नित के लिए सीधी पंक्ति में है वो प्रतिनियुक्ति / समावे"ान पर नियुक्ति के लिए विचार करने हेतु पात्र नहीं होंगे। ठीक उसी प्रकार प्रतिनियुक्ति वाले उम्मीदवार पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार करने हेतु पात्र नहीं होंगे। **टीप 2**: प्रतिनियुक्ति की अवधि केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन / विभाग अथवा उसी विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतः चार वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को 56 वर्षों से अधिक नहीं होगी।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	:	**समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति** (पदोन्नति हेतु विचारार्थ) 1. अध्यक्ष / सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग – **अध्यक्ष** 1. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – **सदस्य** 2. सचिव (f"ाक्षा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – **सदस्य** 4. निदे"ाक (f"ाक्षा) – **सदस्य**
13.	वे परिस्थितियॉं जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	प्रतिनियुक्ति के आधार पर किसी अधिकारी को नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा आयोग से पराम"ा आव"यक है।

टीप : दिनांक 05 जून, 1997 को मूल अधिसूचना संख्या फा0 27(3) / 96–शिक्षा / 938–45 के द्वारा प्रकाशित हुई तथा दिनांक 06 मार्च, 2000 की अधिसूचना संख्या फा0 27(6) / 2000–शिक्षा / 362 एवं दिनांक 02 नवंबर, 2000 की अधिसूचना संख्या फा0 27(6) / 2000–शिक्षा / 1298–1308 के द्वारा उत्तरवर्ती संशोधन किए गए।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

श्री सिंघारे रामचंद्र महादेव, संयुक्त सचिव (शिक्षा)

EDUCATION DEPARTMENT

[Secretariat (Recruitment and Promotion Unit)]

DRAFT NOTIFICATION

Delhi, the 19th July, 2022

No. F. 8(8)/94//Sectt. Br.//Edn.PF-I /831-837.— In exercise of the Powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, read with the Govt. of India, Ministry of Home Affair's Notification No.24/78/68-DH(S) dated 24-09-1968; No.F.27/59-Him(i) dated 13th July, 1959; and in supersession of this Government Notification No.F.2(3)/96-Edn./938-945 dated the 5th of June, 1997 & anything done or omitted to be done before such supersession, the Lieutenant Governor in the National Capital Territory of Delhi hereby makes rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Director of Education (Sports) in the Directorate of Education, Government of National Capital Territory of Delhi as following, namely:

1. **Short title and commencement** –

   (i) These rules may be called the Directorate of Education, Government of National Capital Territory of Delhi, Deputy Director of Education (Sports) Recruitment Rules 2022.

   (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, its classification and pay level in the pay matrix :-** The number of said post, its classification and pay scale of pay attached thereto shall be as specified in Columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc:-** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the aid posts shall be as specified in the Columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications**:- No person,

   (a) Who has entered or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person;

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that Government of National Capital Territory of Delhi, may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds of doing so, exempt any person from the operation of this regulation.

5. **Power to relax: -** Where the Government is of opinion that if necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, may relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving:-** Nothing in these rules shall effect reservations, relaxations of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedule Tribes, Ex-servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	**Number of Posts.**	**Classification.**	**Level in the Pay Matrix.**	**Whether selection or non-selection post.**	**Age limit for direct recruits.**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Deputy Director of Education (Sports)	1*(2022) *Subject to variation dependent on workload .	**General Central Service,** Non-Ministerial Gazetted, Group-A .	Level 12 in the Pay Matrix (78800-209200)	**Selection post**	NA

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment Whether by direct or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which Promotion/ deputation/ absorption to be made.
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
NA	NA	NA	By Promotion failing which Deputation.	**Promotion:** Assistant Director of Education (Sports) in Level-11 (Rs.67700 - 208700/-) in the Pay Matrix with five years regular service in the grade and having successfully completed 2 - 4 weeks training as prescribed by the department. Note: Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service. **Deputation:** Officers of the Central/State Governments/Union Territories: (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) With five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level - 11 (Rs.67700 - 208700/-) in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre/ department; and (b) Possessing the following educational qualifications and experience: (i) A Bachelor degree from a recognized University/Institute. **(ii)** A Diploma/Certificate of at least one year duration from National Institute of Sports (NIS). **(iii)** 05 years experience in the field of organizing sports meets/tournaments or in sports coaching. **(iv)** Have won medal in National Games/Commonwealth Games/Asian Games/Word Championships/ Olympics. **Note 1**: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation/absorption. Similarly, Deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2**: Period of Deputation including period of Deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same

				or some other organization/ department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age limit for appointment by Deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of applications.

If a DPC exists, what is its composition.	**Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.**
(12)	(13)
Group 'A' DPC (for considering promotion) 1. Chairman/Member UPSC -**Chairman** 2. Chief Secretary, Govt. of NCT Delhi -**Member** 3. Secretary Education, Govt. of NCT of Delhi - **Member** 4. Director, Govt. of NCT of Delhi (Education) - **Member**.	Consultation with UPSC is necessary while appointing an officer on deputation basis.

Note : The Principal Notification was published vide F.27(3)/96-Edn/938-45, dated 05th June,1997, subsequent amendment was published vide F. 27(6)/2000-Edn/362 dated 6th March, 2000 & F. 27(6)/2000-Edn/1298-1308 dated 2nd November, 2000.

By Order and in the Name of Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

SHINGARE RAMCHANDRA MAHADEV, Jt. Secy. (Education)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA